संख्या- 28/2024-983(1)/58-2024-118/2016

प्रेषक,

ओम प्रकाश वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

उद्यान अनुभाग लखनऊः दिनांकः 10 जून, 2024

विषयः वित्ती य वर्ष 2024-25 में उद्यान विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन डी.बी.टी. के माध्यम से कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-22/आई0टी0सेल/2024-25/150 बी/लखनऊ, दिनांक 01.05.2024 एवं पत्र सं0-35/आई0टी0सेल/2024-25/150 बी/लखनऊ, दिनांक 21.05.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उपरोक्त विषयक उद्यान अनुभाग के शासनादेश संख्या-33/2023-1863/58-2023-118/2016, दिनांक 07 अगस्त, 2023 (छायाप्रति संलग्न), शासनादेश संख्या-1944/58-2023-118/2016, दिनांक 14 अगस्त, 2023, (छायाप्रति संलग्न), शासनादेश संख्या-2689/58-2023-118/2016, दिनांक 15 दिसम्बर, 2023 (छायाप्रति संलग्न) तथा उद्यान अनुभाग के कार्यवृत्त संख्या-2899/58-2023-54102, दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 (छायाप्रति संलग्न), द्वारा उद्यान विभाग की संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए नीति निर्धारित की गयी।

3. सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उद्यान विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विगत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए उपरोक्त शासनादेशों/कार्यवृत्त द्वारा निर्धारित की गयी नीति को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भी प्रभावी किये जाने का निर्णय लिया गया है।

4. कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(ओम प्रकाश वर्मा)
विशेष सचिव।

https://sirasanadesh.up.gov.in

संख्या-28/2024-983(1)/(2)/58-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उद्यान विभाग, उ0प्र0।
2. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उद्यान विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उद्यान विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. निजी सचिव, विशेष सचिव, उद्यान विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. निदेशक, कृषि विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0। द्वारा-निदेशक।
10. समस्त मण्डलीय उप निदेशक उद्यान, उ0प्र0।द्वारा-निदेशक।
11. समस्त जनपदीय उद्यान अधिकारी, उ0प्र0।द्वारा-निदेशक।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संकठा प्रसाद)
अनु सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 33 /2023- 1863 /58-2023-118/2016

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः दिनांकः** 07 अगस्त **जुलाई, 2023**

विषयः उद्यान विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन डी.बी.टी. के माध्यम से कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-30/आई0टी0सेल/2023-24/150 ए/लखनऊ, दिनांक 24.05.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन डी.बी.टी. के माध्यम से कराये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-31/2022-816/58-2022-118/2016 दिनांक 09.05.2022 द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन डी.बी.टी. के माध्यम से कराये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था निर्धारित की गयी थी। उपरोक्त के संदर्भ में विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत डी.बी.टी. के माध्यम से क्रियान्वयन हेतु निम्नवत् व्यवस्था निर्धारित की जाती हैः-

(1) <u>रोपण सामग्री एवं औद्यानिक निवेश की व्यवस्था-</u>

(क) रोपण सामग्री (पौध, बल्ब) की व्यवस्था प्रथमतः विभागीय नर्सरियों/पौधशालाओं/सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस/मिनी सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस से की जायेगी। इसके पश्चात् अनुपलब्धता की दशा में आई.सी.ए.आर., राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केन्द्रों, नेशनल हार्टीकल्चर बोर्ड (एन.एच.बी.) द्वारा मान्यता प्राप्त/प्रमाणित नर्सरियों/पौधशालाओं एवं प्रदेश सरकार द्वारा पंजीकृत नर्सरियों/पौधशालाओं से क्रय कर लाभार्थी कृषकों को इनपुट्स/काइन्ड डी.बी.टी. के रूप में वितरित किया जायेगा। यह व्यवस्था गंगा के तटीय क्षेत्रों में औद्यानिक विकास तथा

बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र में औद्यानिक विकास योजनाओं में उद्यान रोपण कार्यक्रम में भी लागू होगी।

(ख) संकर शाकभाजी एवं मसाला बीज, औषधीय फसलों हेतु बीज एवं पौध, पुष्प के बीज/बल्ब,बायोफर्टिलाइजर/बायोपेस्टीसाइड्स/बायोएजेन्ट्स,वर्मीकम्पोस्ट/नीमकेक, पालीथीन बैग, मल्चिंग शीट, वर्मीबेड एवं प्लास्टिक क्रेट्स आदि की व्यवस्था विभाग द्वारा इम्पैनल्ड फर्मों/निविदा के माध्यम से अथवा केन्द्रीय/राज्य बीज उत्पादन संगठनों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यथा राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं प्रतिष्ठान (एन.एच.आर.डी.एफ.) केवल प्याज एवं लहसुन बीज हेतु, उ0प्र0 बीज विकास निगम, उ0प्र0 राज्य औद्यानिक सहकारी विपणन संघ (हाफेड) एवं भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नैफेड) एवं कृषक उत्पादक समूह (एफ.पी.ओ.) से क्रय किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत लाभार्थी कृषकों को अनुमन्य अनुदान की धनराशि की सीमा तक इनपुट्स/काइन्ड डी.बी.टी. के रूप में वितरित किया जायेगा।

विगत वर्ष 2022-23 में (एन.एस.सी.) द्वारा वाराणसी मण्डल में बहुत खराब गुणवत्ता के बीज की सप्लाई की गयी है, इसके कारण वर्ष 2023-24 हेतु एन.एस.सी. को प्रतिबन्धित किया जाता है।

(2) <u>प्रोजेक्ट आधारित कार्यों की व्यवस्थाः-</u>

शेडनेट हाउस/पालीहाउस, मशीनीकरण, मौनपालन, वर्मी कम्पोस्ट/पक्का स्ट्रक्चर, निजी क्षेत्र में पौधशाला, टिशूकल्चर प्रयोगशाला, सीड इन्फ्रास्ट्रक्चर इकाई, मशरूम इकाई, शीतगृह, पैकहाउस, प्याज भण्डार गृह, लघु प्रसंस्करण इकाई एवं मिनीमल प्रोसेसिंग इकाई की स्थापना सम्बन्धी परियोजना प्रस्ताव प्रदेश के पंजीकृत/चयनित योजना लाभार्थियों से आनलाइन आवेदन प्राप्त कर परीक्षणोंपरान्त सक्षम स्तर से अनुमोदन/स्वीकृत कराया जायेगा। पंजीकृत/ चयनित कृषकों के द्वारा स्वयं के संसाधनों से इकाई का निर्माण कराया जायेगा। निदेशालय के द्वारा गठित समिति द्वारा सत्यापन किया जायेगा। मानक के अनुरूप पाये जाने पर डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी.) के माध्यम से इकाई लागत के सापेक्ष अनुमन्य अनुदान की धनराशि का भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में अथवा ऋणदाता बैंक के रिजर्व फण्ड में किया जायेगा।

(3) <u>टिश्यू कल्चर केला के सम्बन्ध में व्यवस्थाः-</u>

औद्यानिक विकास योजनाओं (**RKVY एवं MIDH**) में टिश्यू कल्चर केला कार्यक्रम के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-912/58-2016-118 /2016 दिनांक 07.04.2016 में निर्धारित व्यवस्था, जिसमें डी0बी0टी0 लाभार्थी कृषकों के खाते में ट्रान्सफर किये जाने की व्यवस्था थी, वह पूर्ववत् लागू रहेगी।

3. आपूर्तित सामग्री का सत्यापन जनपद स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति के द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

उक्त के अतिरिक्त पूर्व में इस सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत डी.बी.टी. (कैश/काइन्ड) के माध्यम से क्रियान्वयन हेतु उपरोक्त व्यवस्था निर्धारित की जाती है। उपरोक्तानुसार योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

4.8.23

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 33/2023- 1863 (1)/58-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उद्यान विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 शासन।
6. निदेशक, कृषि विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0। द्वारा-निदेशक।
8. समस्त मण्डलीय उप निदेशक उद्यान, उ0प्र0।द्वारा-निदेशक।
9. समस्त जनपदीय उद्यान अधिकारी, उ0प्र0।द्वारा-निदेशक।
10. गार्ड फाइल।

15.07.23

15.07.23

आज्ञा से,

(संकठा प्रसाद)
अनु सचिव।

संख्या———— /2023– 1944 /58–2023–118/2016

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः दिनांक 14 अगस्त, 2023**

विषयः उद्यान विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं का कियान्वयन डी.बी.टी. के माध्यम से कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–33/2023–1863/58–2023–118/2016 दिनांक 07 अगस्त, 2023 का संदर्भ ग्रहण करें।

2– इस क्रम में यह स्पष्ट किया जाना है कि राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन को प्रदेश में लागू करने के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या–33-35/2021-MIDH(AAP) दिनांक 30 जून, 2021 के द्वारा निर्देश निर्गत किये गए हैं। उक्त निर्देशों के प्रस्तर-2(VI) में निम्नवत् व्यवस्था हैः–

"Selection of Agencies / Service providers for implementation of differ components and activities of the approved AAP should be done at the S level through competitive bidding in an open and transparent manner."

3– उपरोक्त के दृष्टिगत शासनादेश संख्या–33/2023–1863/58–2023–118 दिनांक 07 अगस्त, 2023 के कियान्वयन में उपरोक्त प्रस्तर–2 में इंगित व्य अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(मनोज कुमा
अपर मुख्य

संख्या– /2023– /58–2023–118/2016, तद्दिना

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उद्यान विभाग, उ
2. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शास
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शा

5. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 शासन।
6. निदेशक, कृषि विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0। द्वारा–निदेशक।
8. समस्त मण्डलीय उप निदेशक उद्यान, उ0प्र0। द्वारा–निदेशक।
9. समस्त जनपदीय उद्यान अधिकारी, उ0प्र0। द्वारा–निदेशक।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बाल कृष्ण त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

E-2646063

संख्या–2689/58–2023–118/2016

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः दिनांक : 15 दिसम्बर, 2023**

विषयः **विभाग के अन्तर्गत संचालित लाभार्थी परक विभिन्न योजनाओं के कियान्वयन हेतु उच्च गुणवत्ता के बायोफर्टिलाइजर/ बायोपेस्टीसाइड नीम बेस्ड फार्मुलेशन/पौधरक्षा सामग्री एवं प्लास्टिक क्रेट्स आदि की आपूर्ति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0–288/आई0टी0सेल/2023–24/260, दिनांक 17.11.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किसानों को उपलब्ध कराये जाने वाले एग्री इनपुट बायोफर्टीलाइजर एवं प्लास्टिक केट्स अन्य सामग्री के सम्बन्ध में ओरिजनल मैनुफेक्चर एजेंसी से निविदा आमंत्रित कर योग्य एवं प्रतिष्ठित कम्पनियों से प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त कर, पात्र कम्पनियों को नामित (इन्पैनल्ड) करने का प्रस्ताव शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

14.12.23

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

29.XI.23

उद्यान विभाग की लाभार्थीपरक योजनाओं में बीज आपूर्ति के सम्बन्ध में हाफेड की इम्पैनल्ड कम्पनियों के साथ विचार-विमर्श हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त/अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 04.12.2023 को अपरान्ह 2:00 बजे सम्पन्नित बैठक का कार्यवृत्त –

बैठक की उपस्थिति- संलग्न है।

कार्यवृत्त :-

शासनादेश सं0-2626/58-2023-118/2016/54102 दिनांक 20.11.2023 द्वारा उद्यान विभाग की लाभार्थीपरक औद्यानिक विकास योजनाओं में कृषकों को संकर शाकभाजी, मिर्च एवं गेंदा बीज की आपूर्ति के लिए हाफेड की इम्पैनल्ड कम्पनी द्वारा आपूर्ति कराये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं। जनपदों में उक्त प्रक्रिया के क्रियान्वयन में बीज आपूर्तिकर्ता कम्पनियों को आ रही कठिनाईयों एवं उनके निराकरण के पहलू पर कम्पनियों के वरिष्ठ एवं भिज्ञ अधिकारियों के साथ चर्चा की गयी। बीज आपूर्तिकर्ता कम्पनियों के प्रतिनिधियों द्वारा अपने-अपने सुझाव रखे गये। सारांशतः कम्पनियों के प्रतिनिधियों द्वारा जनपद से अन्तिम लाभार्थी कृषकों सूची , अनुमोदित क्षेत्रफल , बीज की प्रजाति एवं मात्रा एकीकृत रूप से प्राप्त नहीं होने एवं किसानों को आपूर्ति उपरान्त किसानों से कम्पनी के सुनिश्चित भुगतान की समस्या रखी गयी। बताया गया कि किसानों द्वारा कम्पनी से बीज क्रय में भुगतान की समस्या है क्योंकि बहुतायत में किसानों के पास बीज क्रय के समय धनराशि के अभाव या अन्य कारणों से कम्पनी के बैंक खाते में बीज प्राप्ति के समय भुगतान करना सम्भव नहीं हो पाता है एवं साथ ही कम्पनियों से बाद में भुगतान प्राप्त करना अत्यन्त कठिन हो जाता है। चर्चा में यह भी प्रकाश में आया कि जनपदों में अभी तक कार्यक्रमवार लाभार्थी सूची ही अन्तिम नहीं हुई हैं। प्रकरण में चर्चा उपरान्त निम्नलिखित निर्देश दिये गये:-

1. उद्यान निदेशालय द्वारा कार्यक्रमवार लाभार्थियों की चयनित सूची एक्सल फार्मेट पर सभी जनपदों से प्राप्त करने की कार्यवाही की जाय, जिसमें प्रत्येक किसान के लिए अनुमोदित क्षेत्रफल, बीज की प्रजाति, बीज की मात्रा तथा अनुमन्य अनुदान धनराशि का विवरण अवश्य दर्शाया जाय। यह कार्यवाही तीन दिन में पूर्ण करा ली जाय।

(कार्यवाही - निदेशक, उद्यान

2. प्रत्येक जनपद के लिए किसानों को अनुदानित बीज के वितरण हेतु निदेशालय द्वारा जिला उद्यान अधिकारियों से समन्वय कर शिड्यूल निर्गत किया जाय। निर्धारित तिथि को सभी इम्पैनल्ड कम्पनी जिला उद्यान अधिकारी द्वारा निर्धारित स्थान पर स्टॉल लगायेंगे। जिला उद्यान अधिकारी द्वारा चयनित लाभार्थी कृषकों को उक्त तिथि को आमंत्रित किया जायेगा। लाभार्थी किसानों द्वारा कम्पनियों के स्टॉल से उनके द्वारा चयनित प्रजाति का बीज प्राप्त किया जायेगा। निकास बिन्दु पर जिला उद्यान अधिकारी अपनी टीम के साथ उपस्थित रहेंगे एवं बीज लेकर जाने वाले किसानों से प्राप्ति/सहमति लेकर, लाभार्थी किसानवार एवं कम्पनीवार ब्यौरा तैयार करते हुए बीज के मूल्य की धनराशि सम्बन्धित कम्पनी को तत्काल भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे। वर्तमान एवं भविष्य में पंजीकृत होने वाले पात्र कृषकों को पहले आये पहले पाये की व्यवस्था कर दी जाये। किसी लाभार्थी किसान को सूची से हटाया न जाये। यदि लाभार्थी कृषक द्वारा इस आशय का शपथ दे दिया कि उन्हें बीज प्राप्त हो गया है तो सक्षम स्तर से भी यह सुनिश्चित करा लिया जाये कि किसान को पूर्ण रूप से बीज प्राप्त हो गया है, उसके उपरान्त सम्बन्धित संस्था को उसका भुगतान कर दिया जाये।

(कार्यवाही-निदेशक, उद्यान)

3. किसानों को बीज उपलब्ध कराये जाने हेतु निदेशालय द्वारा क्रियान्वयन का शिड्यूल बनाया जाय एवं एक दिन में लगभग 5 जनपदों को सम्मिलित किया जाय। उद्यान निदेशालय द्वारा हाफेड को शिड्यूल एवं लाभार्थी सूची, जिसमें फसलवार, प्रजातिवार किसानों को अनुमन्य बीज का विवरण दिया गया हो, उपलब्ध करायी जायेगी। हाफेड द्वारा इम्पैनल्ड कम्पनियों से किये गये अनुबन्ध के अनुसार उन्हें लाभार्थी सूची एवं शिड्यूल उपलब्ध कराया जाय एवं कम्पनियों द्वारा तद्नुसार निर्धारित तिथि को जनपद में स्टॉल लगाने का प्रबन्ध किया जायेगा।

(कार्यवाही-निदेशक, उद्यान/प्रबन्ध निदेशक, हाफेड)

4. उक्त प्रक्रिया पर हाफेड की इम्पैनल्ड बीज आपूर्तिकर्ता मूल उत्पादक कम्पनियों द्वारा सहमति व्यक्त की गयी। उक्त व्यवस्था के अनुपालन हेतु शासनादेश सं0-2626/58-2023-118/ 2016/54102 दिनांक 20.11.2023 के क्रम में उपरोक्तानुसार नवीन निर्देश निर्गत किये जाने हेतु शासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाय।

(कार्यवाही- उद्यान अनुभाग, उ0प्र0 शासन)

5. निर्धारित तिथि को इम्पैनल्ड कम्पनियों द्वारा निर्धारित स्थान पर स्टॉल लगाये जाने की अद्यतन सूचना से मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार तथा कृषि निर्यात, उ0प्र0 शासन को अवगत कराते हुये निदेशक, उद्यान द्वारा मा0 मंत्री जी से यथा सम्भव उक्त का उद्घाटन किये जाने हेतु तिथि एवं समय प्राप्त किया जायेगा। बीज वितरण हेतु निर्धारित तिथि को मा0मंत्री जी के पास समय की अनुपलब्धता होने की स्थिति में सक्षम स्तर (जन प्रतिनिधि/अधिकारी) से कार्यक्रम करा लिया जाय, ताकि कार्यक्रम को स्थगित न करना पड़े, जिससे उक्त योजना का लाभ लाभार्थी कृषक को समय से प्राप्त हो सके।

(कार्यवाही-निदेशक, उद्यान)

अन्त में सधन्यवाद बैठक समाप्त हुई।

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

Digitally Signed by मनोज कुमार सिंह
उत्तर प्रदेश शासन
Date: 20-12-2023 19:46:46
उद्यान अनुभाग
Reason: Approved

संख्या: 9849 /58-2023-54102

दिनांक : 20 दिसम्बर, 2023

उपरोक्त कार्यवृत्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, उद्यान विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. विशेष सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण् विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण् विभाग, उ0प्र0, शासन।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य औद्यानिक सहकारी विपणन संघ (हार्फेड)।
6. गार्ड पत्रावली।

(सकंठा प्रसाद)
अनु सचिव।